# स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट का सारांश

## हाइड्रो पावर

- ऊर्जा संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयरः किरीट सोमैय्या) ने 6 मई, 2016 को हाइड्रो पावर पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमिटी की प्रमुख टिप्पणियों और सुझावों में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं :

- अक्षय (रीन्यूएबल) ऊर्जा के रूप में हाइड्रो पावरः वर्तमान में 25 मेगावाट तक की क्षमता वाले हाइड्रो पावर संयंत्रों को अक्षय ऊर्जा स्रोतों के रूप में स्वीकार किया जाता है और उससे अधिक की क्षमता को परंपरागत स्रोत माना जाता है। कमिटी का कहना है कि हाइड्रो पावर को अक्षय और परंपरागत ऊर्जा के तौर पर अलग-अलग करने के पीछे कोई तर्क नहीं है। कमिटी ने सुझाव दिया कि हाइड्रो पावर के सभी प्रकारों को अक्षय स्रोत माना जाना चाहिए। कमिटी ने सुझाव दिया कि चूंकि हाइड्रो पावर को अक्षय ऊर्जा स्रोत मानने के लिए नीतिगत फैसले लेने पड़ते हैं और सरकार द्वारा आवंटन करना पड़ता है, इसलिए इस संबंध में विधायी प्रावधान किए जा सकते हैं।

- कुल क्षमता में हिस्सेदारीः कुल ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रो पावर की हिस्सेदारी पिछले कई सालों में कम हुई है। 1962-63 में इसमें हाइड्रो पावर की हिस्सेदारी 51% थी जोकि 2015 (सितंबर, 2015) में 15% रह गई। मंत्रालय का कहना है कि इस गिरावट के कारणों में पर्याप्त संरचना का अभाव और द्विपक्षीय संस्थाओं द्वारा यथेष्ट धन प्रदान न करना शामिल है। कमिटी ने सुझाव दिया कि मौजूदा जरूरतों के आधार पर हाइड्रो पावर नीति की समीक्षा की जानी चाहिए।

- वित्तः कमिटी ने पाया कि हाइड्रो पावर परियोजनाओं के पास 25 से 100 वर्ष तक की अवधि के एसेट्स होते हैं, लेकिन बैंक उन्हें लगभग 12 वर्षों के लिए ऋण देते हैं। इसलिए ऋण चुकाने के लिए शुरुआती 10 से 12 वर्ष के लिए अधिक नकद प्रवाह की जरूरत होती है। इसका परिणाम यह होता है कि शुरुआती वर्षों में हाइड्रो पावर की शुल्क दर (टैरिफ) अधिक होती है और राज्य इसे खरीदने को तैयार नहीं होते। कमिटी ने सुझाव दिया कि (i) शुल्क दर निर्धारित करने के लिए हाइड्रो पावर परियोजनाओं की औसत अवधि 30 से 40 वर्ष होनी चाहिए, और (ii) बैंक और वित्तीय संस्थानों को हाइड्रो पावर परियोजनाओं को दीर्घावधि के वित्तीय ऋण देने के लिए आश्वस्त किया जाना चाहिए।

- पर्यावरणीय मंजूरीः कमिटी ने पाया कि हाइड्रो परियोजनाओं के विलंब के प्रमुख कारणों में से एक है, पर्यावरणीय मंजूरी हासिल करना। तथ्यों की पड़ताल और भिन्न-भिन्न मतों पर विचार करने के बाद कमिटी ने कहा कि हाइड्रो पावर सेक्टर के विकास में सबसे बड़ी बाधा पर्यावरणीय मंजूरी है, यह अवधारणा सही नहीं है। इसके अतिरिक्त, कमिटी का कहना है कि पर्यावरणीय मंजूरी मिलने के बावजूद विभिन्न परियोजनाएं विकसित नहीं हो पाई हैं।

- कमिटी ने पाया कि पर्यावरण और विकास, दोनों महत्वपूर्ण हैं। इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। कमिटी ने सुझाव दिया कि पर्यावरण और जैव विविधता के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में परियोजनाएं नहीं लगाई जानी चाहिए। जबकि अन्य क्षेत्रों में हाइड्रो पावर परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी दिखाई जानी चाहिए। कमिटी ने यह भी सुझाव दिया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पर्यावरणीय मंजूरी देने के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए।

- निजी परियोजनाएं : कमिटी का कहना है कि निजी क्षेत्र द्वारा हाइड्रो पावर परियोजनाओं में क्षमता वृद्धि बहुत कम है। जिन निजी कंपनियों को परियोजनाएं आवंटित की जाती हैं, वे कुछ कारणों, जैसे कि अनुभव की कमी के कारण इन परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पातीं। कमिटी ने कहा कि सरकार ने हाइड्रो पावर सेक्टर के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अधिक प्रयास नहीं किए हैं। इसकी वजह से, निजी कंपनियां थर्मल पावर सेक्टर की तरफ आकर्षित हो गई हैं, जोकि सरल और विकसित करने के लिहाज से कम जोखिमपरक है। साथ ही इसकी विकास अवधि

दिपेश सुवर्ण
dipesh@prsindia.org

30 जून, 2016

भी अपेक्षाकृत कम होती है। कमिटी ने सुझाव दिया कि सरकार को हाइड्रो पावर सेक्टर को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे निजी कंपनियों को इस क्षेत्र के प्रति आकर्षित किया जा सके। परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए सरकार को केवल अपेक्षित क्षमताओं वाली निजी कंपनियों को प्रवेश की अनुमति देनी चाहिए।

- सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाएं : कमिटी ने पाया कि अपेक्षित संरचना होने के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रमों (पीएसयू) के पास कम ही परियोजनाएं हैं। इस पर कमिटी ने कहा कि इस वजह से संसाधनों और विशेषज्ञ क्षमता की बर्बादी होती है। कमिटी ने सुझाव दिया कि हाइड्रो पावर सेक्टर के सरकारी उपक्रमों को अधिक परियोजनाओं का आवंटन किया जाना चाहिए और उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- कमिटी ने यह भी पाया कि अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर परियोजनाओं का आवंटन अग्रिम भुगतान के जरिए 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर किया गया। चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास अग्रिम भुगतान का प्रावधान नहीं होता, इससे उन्हें आवंटित की गई सभी परियोजनाओं को वापस ले लिया गया और प्रीमियम चुकाने वाली निजी कंपनियों को दे दिया गया। कमिटी ने सुझाव दिया कि हाइड्रो पावर परियोजनाओं के आवंटन के लिए अग्रिम भुगतान की पद्धति को समाप्त करने के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए।

यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।